

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

आवेदन संख्या: BAAP/IRTIC/2017/97

दिनांक: 01/06/2017

प्राथी,

दर्श चौधरी (समाजसेवी),

डाक पता: भारतीय सूचनाधिकार परिषद, सनकासोई, रोड नंबर - 04, डिमना रोड, मानगो,

जमशदेपुर, पूर्वी सिंहभूम - 831018, झारखण्ड, भारत।

सेवा में,

जन सूचना पदाधिकारी,

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,

नई दिल्ली, दिल्ली, भारत।

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं/जानकारियों को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन के संबंध में।

महादेय/महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं/जानकारियों को प्रदान करने का कष्ट करें। आपसे निवेदन/अनुरोध है कि आवेदन का जवाब देते समय उपरोक्त आवेदन संख्या जरूर लिखें तथा हिन्दी भाषा का ही उपयोग करें।

1. उपरोक्त विषयक एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 में कुल कितने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियुक्ति, पदोन्नति तथा तबादला किया गया था/है। उक्त संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति, पदोन्नति तथा तबादला से संबंधित संपूर्ण विवरण अर्थात् पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम, पूर्व एवं वर्तमान समय का पदनाम, पूर्व एवं वर्तमान समय का कार्यभार विस्तार में बिन्दुवार प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्या: 72)
2. उपरोक्त विषयक एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों में नियुक्त/कार्यरत सभी वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों ने भारत/राज्य सरकार के किस संघ/राज्य लोक सेवा आयोग या भर्ती/बहाली के अंतर्गत सरकारी नौकरी प्राप्त किया है तथा उक्त लिखित सभी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनके सहयोगी किस बैच से एवं किस वर्ष से संबंधित है इसका संपूर्ण विवरण विस्तार में बिन्दुवार प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्या: 71)
3. उपरोक्त विषयक एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 में संबंधित सरकार द्वारा कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ था/है एवं उन प्राप्त धनराशियों का उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया गया था/है इसका विवरण विस्तार में बिन्दुवार प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ उक्त वित्तीय वर्षों में भारत/राज्य सरकार सरकार को दिये गए बजट से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्या: 77)
4. उपरोक्त विषयक तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों में नियुक्त/कार्यरत कुल कितने वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध छोटे एवं बड़े अपराधिक मामले चल रहे थे/है या दर्ज थे/है, इसका विवरण बिन्दुवार प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ उक्त सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों के अपराधिक मामलों में दर्ज प्राथमिकी का प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराने की कृपा करें। (शब्दों की संख्या: 71)

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) (1) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी सरकारी कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। अतः उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित सभी कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का मैं निरीक्षण करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया कर मुझे तिथि, समय एवं स्थान बताने का कष्ट करें जब मैं आकर उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण कर सकूँ। (शब्दों की संख्या: 72)

6. उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित निरीक्षण करने के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज के प्रतिलिपियों की आवश्यकता होगी तो कृपया कर मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) (2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क लेकर संबंधित प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्या: 45)

मैं बी० पी० एल० कार्डधारी हूँ इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आने वाले सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ एवं मेरा बी० पी० एल० कार्ड नंबर ..... है।

— या —

मैं आवदेन शुल्क के रूप में ..... रुपये का ..... पास्टल ऑर्डर/मनी ऑर्डर साथ में जमा रहा/रही हूँ जिसका क्रमांक संख्या ..... है। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कोई भी अतिरिक्त शुल्क/प्रभार यदि लागू हो तो देने के लिये वचनबद्ध हूँ। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर मेरे आवदेन से संबंधित सभी सूचनाओं का लिखित या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में जवाब/प्रतिउत्तर उपलब्ध कराई जाए।

**महत्वपूर्ण जानकारी:** यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञाक लेते हुए मेरे आवदेन को संबंधित विभाग/कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी को पाँच दिनों की समयावधि के अंदर हस्तान्तरित करें। साथ ही साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम, पद, डाक पता एवं संपर्क संख्या अवश्य बतायें। धारा 7 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क हेतु विवरण संगणक सहित देना होगा। धारा 7 (9) के अंतर्गत सूचना उसी प्रारूप में दी जानी चाहिए जिस प्रारूप में मांगी गई है। धारा 8 (1) (ज) के अंतर्गत जो सूचना भारतीय संसद या राज्यों के विधान सभाओं को दिये जाने से इंकार नहीं कि जा सकती, किसी व्यक्ति/आवेदक को भी इंकार नहीं की जायेगी। धारा 20 (1) एवं 20 (2) के अंतर्गत जुर्माना एवं अर्थ दंड का प्रावधान है।

मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत हूँ। मैं वचन देता/देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में प्राप्त सूचना का प्रयोग/हस्तांतरण/सम्मिलित/प्रदर्शन/वितरण जो कि देशहित में नहीं आता है, नहीं करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/घोषणा गलत पाई गयी तो मैं इसका स्वयं जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी एवं इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाऊँगा/जाऊँगी।

आपका/आपकी विश्वासी



(दर्श चौधरी)

समाजसेवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष

संपर्क संख्या: 08797332777, 08797779888

**नोट:-** आपके मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचारों/समस्याओं/लापरवाहियों को खत्म करने के लिए आपका सहयोग अनिवार्य है। आपके मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संबंधित भ्रष्ट एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पदाधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों के द्वारा अगर मेरे/मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का गलत तथा बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास किया गया/जायेगा या मुझे/मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया/जायेगा तो आप मुझे अपना समर्थन देते हुए मेरा/मेरे परिवार का बचाव करें अन्यथा मुझ/मेरे परिवार से संबंधित आरोपों/क्षतियों में आपका भी सहभागिता समझा जायेगा।

Phone: 020-24103251  
Website: www.cwprs.gov.in

By RTIMIS Online

Fax: 020-24381004  
E-mail: jagtap.rs@gov.in

Government of India  
Ministry of Water Resources,  
River Development & Ganga Rejuvenation  
Central Water and Power Research Station, Pune 411024

No. 525/PIO/RTIA/2017/

15/06/2017

Shri Darsh Choudhary  
Sankosai, Road Number – 04  
Dimna Road, Mango  
Jamshedpur 831018  
Jharkand

Sub: Request for information under RTI Act 2005

Ref: Your application No.CWPRS/R/2017/80011 dated 02/06/2017 <sup>received</sup> through RTIMIS  
online portal

महोदय,

With reference to your application, the requisite replies/information received from the concerned divisions of CWPRS under relevant provisions of the act is enclosed.

The applicant has sought the information/ copies of documents in respect of total employees of CWPRS (strength is around 840). The requisite information is voluminous and is spread in numerous files. The compilation of the same would divert large number of resources of the public authority [Sec 7(9)]. Notwithstanding the above, you are informed that the available files/ documents/ papers in the respect are open for inspection. The desired information can be made available to the applicant during office hours 0900 – 1730 hours on any working day with one week prior intimation as per Sec 6(1) & 2(j) [Hon'ble CIC Judgement : RTIR II (2014) 109(CIC)]. The contact details for submitting prior intimation is given below.

Shri R.S. Jagtap, Joint Director & CPIO, Central Water & Power Research Station, Khadakwasla, Pune – 411 024, Phone : (O) 02024103251, (Mob) 9049059033, E-mail: jagtap.rs@gov.in

Please note that in addition to inspection of relevant files/ records/ documents, you are entitled for taking notes/ extracts/ copies of material as permitted under Sec 2(j). Additional charges for supplying such material would be: Rs 2/- per page for A4 size and for others as per rules. There is no fee for the first one hour of inspection of files/ records/ documents. For every subsequent hour, or fraction thereof, a fee of Rs 5/- will be charged.

Appeal if any, under Section 19 of the RTI Act, may be preferred to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of this letter on the following address:

Dr (Mrs) V.V. Bhosekar  
Director I/c  
Central Water and Power Research Station  
Khadakwasla, Pune- 411024

Tel: (020) 24380552; Fax: (020) 24380540; E-mail: director@cwprs.gov.in

भवदीय

संलग्न : यथा उपरोक्त

Draft for approval pl. (info/ reply from TC  
is yet to be received).  
2/16/17  
18-6-17

(रा.सु. जगताप)  
संयुक्त निदेशक &  
जन सूचना अधिकारी

Cc to : Shri R.R. Aswale, CAO, CWPRS/ Sci-D(TC)

Director  
16/6/2017